न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः– चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं. 50/2020 वाद

1. श्रीमती रामेश्वरी देवी पत्नी रमेशचन्द्र आहुजा, आयु 65 साल, निवासी निम्बाहेड़ा।
2. रमेशचन्द्र आहुजा पिता किशन चन्द आहुजा, आयु 68 साल, निवासी निम्बाहेड़ा।

– वादीगण

//बनाम//

1. शशिकान्त पिता औंकारलाल गौड ब्राहम्ण, आयु 55 साल, निवासी हाल प्रेम एनक्लेव कॉलोनी, निम्बाहेड़ा।
2. श्रीमती निर्मला पत्नी दिलीप कुमार सुथार, आयु 42 साल, निवासी निम्बाहेड़ा।
3. राज. सरकार जरिये भुमिधारी तहसीलदार निम्बाहेड़ा।
4. दिलीप पिता कन्हैयालाल सुथार, आयु 45 साल, निवासी निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

दावा

अन्तर्गत धारा 88, 188 रा.का.अधि.

श्री शैलेश आहुजा अधिवक्ता वादीगण उपस्थित

निर्णय

दिनांक 16.09.2020

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादीगण ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 रा.का.अधि. का प्रस्तुत कर निवेदन किया की वाके मौजा निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 686 की आराजी नं. 1806, 1807 व 1808 कुल किता 3 कुल रकबा 1.6200 हैक्टेयर भूमि स्थित है जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है। इसमें से आराजी नं. 1807 रकबा 0.1400 हैक्टेयर भूमि सहवन से गे.मु. चाह दर्ज हो गई है जबकि इस अनुसार मौके पर कोई भी चाह की भूमि नहीं है। मौके पर एक छोटा सा गडढ़ा है जिसे राजस्व अधिकारियों द्वारा चाह मानकर पुरी [illegible] को गलत रूप से आता चाह दर्ज कर दिया गया जो पूर्णतया गलत है तथा वर्तमान परिस्थितियों अनुसार मौके पर परिवर्तन होता गया तथा चाह का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। मौके पर मात्र एक आरी का गड्ढा है वादीगण तथा प्रतिवादीगण जब से इस भूमि पर खरीदकर काबिज काश्त हुए हैं तभी से इसका उपयोग उपभोग काश्त के लिए करते चले आ रहे हैं। इस भूमि पर कोई आता चाह नहीं है। सिर्फ राजस्व कार्मिकों की गलती के कारण पुरी आराजी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandrashekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:26:38 IST
Reason: Self Attested

चाह के रूप में दर्ज कर दिया गया है जो पूर्णतया गलत है। इस आराजी में कभी भी चाह नहीं रही है। वर्तमान में सिर्फ एक छोटा सा गडढा है जिसे राजस्व कार्मिकों ने गलती से सम्पूर्ण आराजी पर चाह अंकित कर दिया जिसे सुधारा जाना आवश्यक है। अतः राजस्व कार्मिकों की गलती को सुधारते हुए उक्त आराजी नं. 1807 रकबा 0.1400 हैक्टेयर में से मौके अनुसार 0.1300 हैक्टेयर भूमि बारानी-4 घोषित करते हुए शेष 0.0100 हैक्टेयर भूमि को आता चाह घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण मय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा ईकबाली जवाबदावा प्रस्तुत कर वादीगण के कथनों को स्वीकार किया तथा सम्पूर्ण आराजी पर गलती से अंकित आता चाह को सुधारते हुए 0.1300 हैक्टेयर पर बारानी-4 तथा 0.0100 हैक्टेयर पर आता चाह दर्ज करवाने का कष्ट करावें।

बहस सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। तहसीलदार निम्बाहेड़ा से मौका रिपोर्ट तलब कि गइ। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपनी मौका रिपोर्ट में बताया की ग्राम निम्बाहेड़ा की आराजी नं. 1807 रकबा 0.1400 हैक्टेयर भूमि वर्तमान में पड़त है तथा मौके पर आराजी के मध्यम में एक गड्डेनुमा भूमि है। दस्तावेजी साक्ष्य में वादीगण ने नकल जमाबन्दी संवत 2068-71 ग्राम निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 292, नकल जमाबन्दी संवत 2067-70 ग्राम निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 270, नकल जमाबन्दी संवत 2054-57 ग्राम निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 504, सम्बन्धित आराजीयात की खसरा गिरदावरी तथा मिलान क्षेत्रफल ग्राम निम्बाहेड़ा प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत जमाबन्दीयों अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण उक्त भूमि के संयुक्त खातेदार हैं। नवीन व साबिक आराजी के नम्बर का मिलान होता है। हमारे द्वारा भी दिनांक 09.09.2020 को मौका निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षण में वर्तमान में उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कुआ आदि नहीं होकर भूमि पड़त पड़ी है। लिखित बहस में भी दोनों अधिवक्ताओं ने अपने अपने अभिवचनों को दोहराते हुए राजस्व कार्मिकों की गलती से सहवन से दर्ज सम्पूर्ण आराजी को आता चाह न रखते हुए 0.0100 हैक्टेयर भूमि को आता चाह घोषित करने का निवेदन किया है। मौका निरीक्षण से स्पष्ट होता है कि मौके पर कोई आता चाह नहीं है, ना ही 0.1400 हैक्टेयर भूमि पर आता चाह हो सकती है। इस प्रकार हम वादीगण के कथनों से पूर्णतया सहमत हैं कि सहवन से आराजी नं. 1807 का सम्पूर्ण रकबा आता चाह दर्ज हो गया। तहसीलदार निम्बाहेड़ा की मौका रिपोर्ट एवं हमारे द्वारा किये गये मौका निरीक्षण में भी उक्त तथ्य स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। प्रकरण के सभी पक्षकार भी सहमत हैं और न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी सहमति प्रकट की है। मौके पर कोई विवाद प्रकट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में वादीगण का दावा डिक्री योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:26:38 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतः वाद वादीगण कतई डिक्री किया जाता है। प्रश्नगत आराजी वाके मौजा निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 686 की आराजी नं. 1807 रकबा 0.1400 बिस्वा में से 0.1300 बिस्वा बारानी–4 तथा 0.0100 बिस्वा भूमि आता चाह घोषित की जाती है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख 16.09.2020 को सरे इजलास सुनाया जाकर पृथक से कम्प्युटराईज करवाया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:26:38 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः— चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं. 50/2020 वाद

1. श्रीमती रामेश्वरी देवी पत्नी रमेशचन्द्र आहुजा, आयु 65 साल, निवासी निम्बाहेड़ा।
2. रमेशचन्द्र आहुजा पिता किशन चन्द आहुजा, आयु 68 साल, निवासी निम्बाहेड़ा।

– वादीगण

//बनाम//

1. शशिकान्त पिता औंकारलाल गौड ब्राहम्ण, आयु 55 साल, निवासी हाल प्रेम एनक्लेव कॉलोनी, निम्बाहेड़ा।
2. श्रीमती निर्मला पत्नी दिलीप कुमार सुथार, आयु 42 साल, निवासी निम्बाहेड़ा।
3. राज. सरकार जरिये भुमिधारी तहसीलदार निम्बाहेड़ा।
4. दिलीप पिता कन्हैयालाल सुथार, आयु 45 साल, निवासी निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

दावा

अन्तर्गत धारा 88, 188 रा.का.अधि.

पत्रावली में आज दिनांक को वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री शैलेश आहुजा की उपस्थिति में पत्रावली अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है कि वाद वादीगण कतई डिक्री किया जाता है। प्रश्नगत आराजी वाके मौजा निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 686 की आराजी नं. 1807 रकबा 0.1400 बिस्वा में से 0.1300 बिस्वा बारानी–4 तथा 0.0100 बिस्वा भूमि आता चाह घोषित की जाती है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह आज तारीख 16.09.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:26:38 IST
Reason: SelfAttested